Impact Factor (QJIF): 8.47 E-ISSN: 2583-1615, P-ISSN: 3049-3498

International Journal of Research in Academic World

Received: 02/June/2026 **IJRAW:** 2026; 5(8):78-81 **Accepted:** 07/July/2026

अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं की उद्यमिता जागरूकता अनुशीलन की स्थिति (छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में)

[1]डॉ. मीना पाराशर और [*2]निक्की अहिरवार

[1]शोध निर्देशक, सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, श्री सत्य सांई महिला महाविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत।

[*2]शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश

उद्यमिता जागरूकता का प्रारम्भ संयुक्त राष्ट्र में 19 नवम्बर 2014 से माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र में आज भी 19 नवम्बर को महिला उद्यमिता जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में इसकी शुरूआत वर्ष 1991 से मानी जाती है। यद्यपि महिलाओं में उद्यमिता के गुण तो पूर्व से ही थे किन्तु पारिवारिक उत्तरदायित्वों, रीति-रिवाजों एवं रूढ़िगत परम्पराओं के चलते उनके कौशलों की पहचान नहीं हो सकी। साथ ही इस दिशा में शासन के प्रयास भी सीमित प्रतीत हुए है। किसी भी विषय पर अत्यधिक सूक्ष्मता व गहराई से चिंतन-मनन की क्रिया या भाव को अनुशीलन कहा जाता है। महिलाओं की उद्यमिता जागरूकता अनुशीलन से तात्पर्य यह है कि अध्ययन क्षेत्र छिंदवाड़ा जिले की अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं की उद्यमिता जागरूकता के पूर्व एवं पश्चात् आने वाले परिवर्तनों का बड़ी ही सूक्ष्मता से अध्ययन करना है।

प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आज महिलाओं द्वारा अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति, कर्तव्य परायणता तथा सहनशीलता के द्वारा धीमे-धीमे ही सही लेकिन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता हैं इस परिवर्तन में शासन, प्रशासन एवं स्वयं महिलाओं की गौरव गाथा भी शामिल है। महिला ने अपने प्रभाव से समाज को चतुर्दिक प्रभावित किया है, जो सामाजिक सशक्तिकरण का लक्षण है। आज महिलायें अपने पुत्र-पुत्रियों को शिक्षा दिला रही हैं। वे स्वतंत्रता से चाहे जहाँ आ-जा रही हैं, उनमें एक आत्म विश्वास दिखाई देता है। वे अब घूंघट में सिमटकर नहीं रह गयी हैं अपने ऊपर हो रहे जुल्मों का प्रतिकार करती हैं। इसके लिए वे पुलिस व प्रशासन का सहारा ले रही हैं, आज बाल-विवाह, बेमेल विवाह समाप्ति की ओर है, विधवा विवाह को प्रोत्साहन मिल रहा है। अंध विश्वासी की डोर उनके हाथों से छूट रही है। छुआ-छूत की भावना क्रमशः कम हो रही है। महिलायें अब अपने जीवन एवं उन्हें क्या करना है, इसका फैसला वे खुद कर रही हैं। वे अपनी स्वतंत्रता एवं अधिकारों का उपयोग सजगता तथा सतर्कता से कर रही हैं। सामाजिक रूढ़ियों के भंवरजाल से निकलकर उनके पक्ष में क्या है उन्हें किसमें फायदा हैं ? इसका अंदाजा और अंदेशा उनकी दूरदर्शिता को उजागर करता है। आज वे बेहिचक होकर पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही है। यह रूढ़ियों एवं सामाजिक कुरीतियों की तिलांजलि का प्रमाण है। इस प्रकार हमें आज के समाज में महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के लक्षण दृष्टव्य हो रहे हैं।

मुख्य शब्द: उद्यमिता जागरूकता, शासकीय योजनायें, सामाजिक कुरीतियां, आर्थिक व सामाजिक विकास।

प्रस्तावना

केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के आर्थिक विकास को गति प्राप्त हुई है किन्तु इन योजनाओं के संचालन के पूर्व देखा जाये तो महिलाओं के दायित्व मात्र पारिवारिक जिम्मेदारियों एवं घरेलू कार्यों तक ही सीमित थे। योजनाकाल के पूर्व समीक्षात्मक रूप से शासकीय योजनाओं के लाभ की स्थिति को निम्न वर्णित तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

***Corresponding Author:** निक्की अहिरवार

उद्यमिता जागरूकता अनुशीलन के पूर्व की स्थिति

तालिका 1: केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के जागरूकता अनुशीलन के पूर्व अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं की स्थिति

क्रं.	योजना का नाम	आवृत्ति	योजना से लाभान्वित हुई हैं (प्रतिशत में)	
			हाँ	नहीं
1.	स्त्री स्वाभिमान योजना	50	2.13%	4.13%
2.	जननी सुरक्षा योजना	50	1.88%	4.38%
3.	प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम योजना	50	1.38%	4.88%
4.	प्रधानमंत्री आवास योजना	50	2.75%	3.50%
5.	गरीब कल्याण योजना	50	1.75%	4.50%
6.	ग्रामीण कौशल्या योजना	50	1.13%	5.13%
7.	मुद्रा योजना	50	1.13%	5.13%
8.	अटल पेंशन योजना	50	2.00%	4.25%
9.	आयुष्मान भारत	50	2.88%	3.38%
10.	फसल बीमा योजना	50	2.13%	4.13%
11.	राष्ट्रीय पोषण मिशन	50	1.38%	4.88%
12	प्रधानमंत्री जन औषधि योजना	50	0.88%	5.38%
13	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	50	1.13%	5.13%
14	ग्रामीण कौशल्या योजना	50	1.63%	4.63%
15	धनलक्ष्मी योजना	50	1.25%	5.00%
16	इंदिरा आवास योजना	50	3.00%	3.25%
	योग -	800	28.37	71.63

स्रोत- *सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त आंकड़े ।*

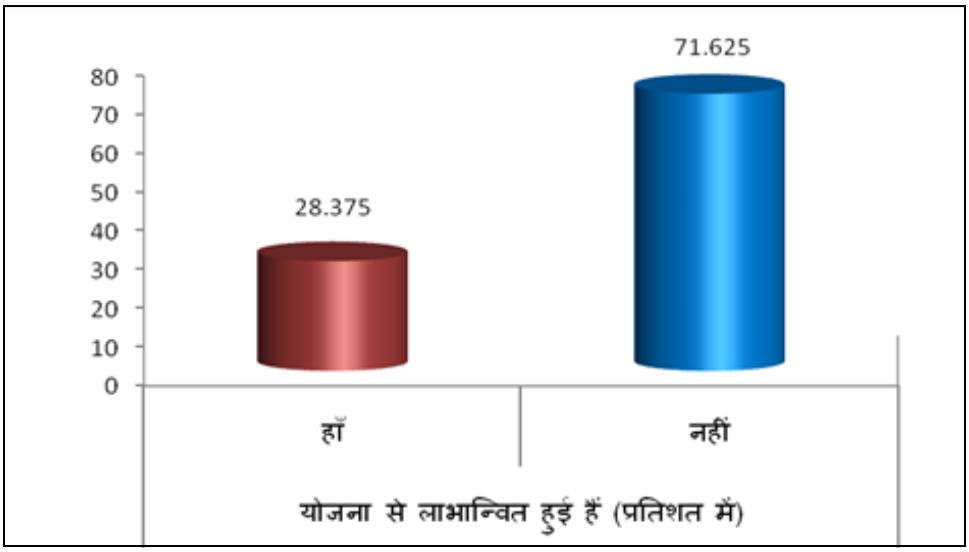

दण्डारेख क्रं. 01

उपर्युक्त तालिका एवं ग्राफ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन उपरांत महिलाओं की जागरूकता के पूर्व योजनाओं से लाभ की स्थिति अत्यंत ही न्यून परिलक्षित हो रही है। केन्द्र प्रवर्तित योजनायें छिंदवाड़ा जिले में क्रियान्वित तो की गयीं किन्तु महिलाओं की जागरूकता के अभाव में इन योजनाओं का विधिवत लाभ उन तक नहीं पहुंचा ऐसा प्रतीत होता है। छिंदवाड़ा जिले के विकासखण्डों में 10-10 ग्रामों की 800 महिलाओं से प्राप्त अभिमत के आधार पर केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में लाभ 71.63 प्रतिशत महिलाओं को योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है अथवा उन्होंने इन योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं किया है, जबकि 28.37 प्रतिशत महिलाओं ने योजनाओं का लाभ प्राप्त किया है। महिलाओं में जागरूकता की कमी के कारण लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत से भी कम है। अत: योजनाओं का लाभ प्राप्त न करने का मुख्य कारण अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं में जागरूकता अनुशीलन को माना जा सकता है।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के पश्चात् शोधार्थी द्वारा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की स्थिति एवं उनके प्रभावों का मूल्यांकन किया गया। अध्ययन क्षेत्र छिंदवाड़ा जिले की शहरी/ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं द्वारा जागरूकता के पूर्व प्रदेश सरकार की प्रमुख 16 योजनाओं के संबंध में आंकड़े एकत्रित किये गये। प्राप्त आंकड़ों को निम्न तालिका में दर्शित किया गया है -

तालिका 2: राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के जागरूकता अनुशीलन के पूर्व अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं की स्थिति

क्रं.	योजना का नाम	आवृत्ति	योजना से लाभान्वित हुई हैं (प्रतिशत में)	
			हाँ	नहीं
1.	लाड़ली लक्ष्मी योजना	50	3.63%	2.63%
2.	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	50	3.88%	2.38%
3.	खेत तालाब योजना	50	3.25%	3.00%
4.	दीनदयाल रोजगार योजना	50	2.63%	3.63%
5.	मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना	50	3.38%	2.88%
6.	मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका योजना	50	2.75%	3.50%
7.	मध्यप्रदेश जिला गरीबी उन्मूलन योजना	50	3.63%	2.63%
8.	मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना	50	2.13%	4.13%
9.	महिला किसान सशक्तिकरण योजना	50	3.88%	2.38%
10.	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	50	2.63%	3.63%
11.	जनश्री बीमा योजना	50	2.00%	4.25%
12	एकलव्य शिक्षा विकास योजना	50	1.13%	5.13%
13	मुख्यमंत्री मजदूर सहायता योजना	50	1.75%	4.50%
14	भूमि शिल्प योजना	50	1.38%	4.88%
15	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना	50	2.00%	4.25%
16	सौभाग्यवती योजना	50	3.00%	3.25%
	योग -	800	43.00%	57.00%

स्रोत- *सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त आंकड़े ।*

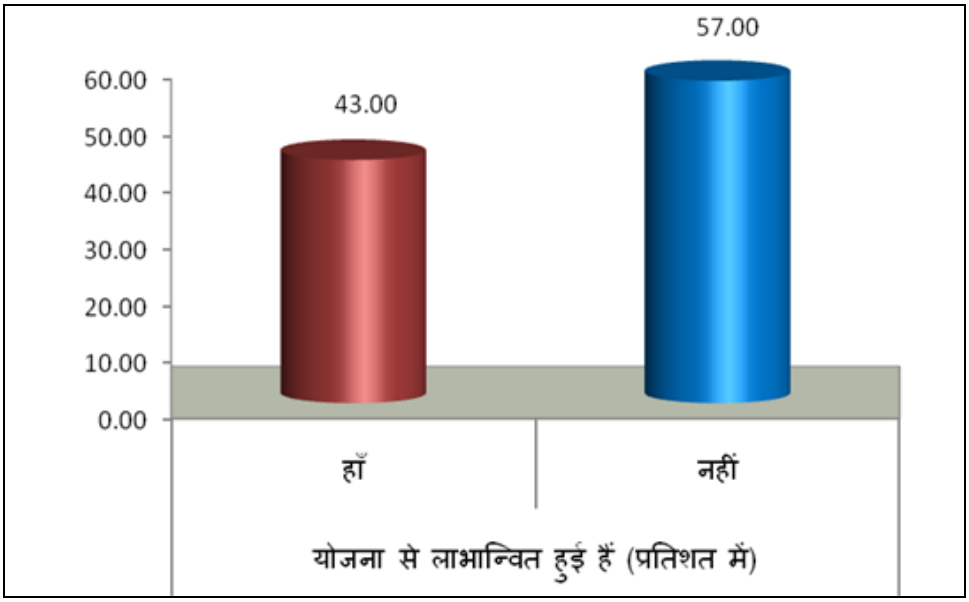

दण्डारेख: 2

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं में जागरूकता अनुशीलन के पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के उपरांत भी लाभ प्राप्त महिलाओं के स्थिति संतोषजनक नहीं रही है। इसका मूल कारण योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रचार-प्रसार न होने के साथ-साथ महिलाओं में जागरूकता के अभाव को माना जा सकता है। तालिका में दर्शित आंकड़ों से स्पष्ट है कि छिंदवाड़ा जिले की अनुसूचित जाति वर्ग की 800 महिलाओं पर किए गए सर्वेक्षण में मात्र 43 प्रतिशत महिलाओं ने प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं में सहभागिता कर लाभ प्राप्त किया, किन्तु 57 प्रतिशत महिलायें ऐसी है जिन्हें इन योजनाओं की जानकारी नहीं हैं तथा जागरूकता के अभाव में इन योजनाओं का लाभ से वंचित हैं।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु क्रियान्वित योजनाओं में अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लाभांश की स्थिति जागरूकता अनुशीलन के पूर्व संतोषप्रद नहीं थी। इस दिशा में महिलाओं में उद्यमिता विकास हेतु जागरूकता की आवश्यकता महसूस की गयी।

उद्यमिता जागरूकता अनुशीलन के बाद की स्थिति

आर्थिक रूप से सम्पन्न महिला ही जागरूक महिला की श्रेणी में आती है। वहीं जागरूक महिला ही शक्ति सम्पन्न होगी, शक्ति सम्पन्न महिला की बात आर्थिक सशक्तिकरण के मामले में सुनी व समझी जायेगी। आर्थिक रूप से सम्पन्न महिला में सोचने, समझने, मुद्दों को

उभारने, काम की महत्वता, उपयोगिता के संबंध में अपना दृष्टिकोण रखने की योग्यता का विकास होता है। ये योग्यता उद्यमिता विकास में चार चांद लगा देगी।

आर्थिक एवं सामाजिक सुधार

आर्थिक रूप से स्वावलम्बन महिलाओं के समग्र विकास के लिए निश्चित तौर पर लाभदायी होता है और इसी दृष्टि से शासन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया है। इस संदर्भ में सबसे पहले गाँवों, गाँवों तक उन योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है, जिनसे महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सकता है। उसके साथ महिलाओं को स्व-सहायता समूह के रूप में आर्थिक गतिविधियों हेतु प्रेरित किया जा रहा है। यदि गाँव की महिलायें अपने परिवारों की आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके इसके लिए उन्हें सक्षम बनाने का प्रयास शासन के द्वारा किया जा रहा है। बेरोजगारी से निपटने के लिए तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें इसके संबंध में उन्हें विविध प्रकार के प्रशिक्षण से उनकी कला में निखार आ रहा है। मध्यप्रदेश शासन ने महिलाओं को शासकीय नौकरियों में 50% स्थानों को आरक्षित किया है। वहीं कुटीर उद्योग, पशुपालन, मुर्गीपालन, दुग्ध व्यवसाय, परम्परागत कुटीर उद्योगों में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पुरूष की अपेक्षा पहले महिलाओं को सुविधायें मुहैया कराई जाती है।

विविध रोजगार, योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सौ दिन का रोजगार निश्चित किया है। यद्यपि रोजगार योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। इससे मानव संसाधनों के अधिक और सफल उपयोग में गरीबी उपशमन असमानताओं में कमी तथा आर्थिक विकास की उचित उच्च गति को बनाया गया है। ग्रामीण विकास में गति मिली है, साथ ही महिलाओं को आर्थिक आधार प्राप्त हुआ है। रोजगार योजनाओं में पहले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए ही रोजगार के अवसर मिलते थे लेकिन अब सभी बेरोजगार एवं रोजगार आकांक्षी महिला/पुरूषों को रोजगार दिया जाता है। वहीं 'साझा चूल्हा' कार्यक्रम में केवल महिलाओं को ही कार्य करने का अवसर दिया जाता है, अर्थात 'साझा चूल्हा' के अंतर्गत स्वसहायता समूह के रूप में केवल महिलायें ही कार्य करने हेतु आरक्षित हैं, जो उनके एकाधिकार का प्रतीत है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में केवल महिलाओं की भर्ती की जाती है। पुरूषों को इस कार्य हेतु भर्ती नहीं किया जाता है। आशा कायकर्ता, प्रशिक्षित दाई नामक पदों में भर्ती महिलाओं का शत-प्रतिशत आरक्षण है। ग्रामीण क्षेत्र में अब अनेक पद महिलाओं हेतु आरक्षित हैं ये प्रक्रियायें महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में शासन के महत्वपूर्ण कदम हैं।

मध्यप्रदेश शासन एवं भारत सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। यहाँ पर उन सभी का उल्लेख करना असम्भव है लेकिन कुछ ऐसे कदम उठाये हैं जिनसे महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हुआ है वहीं ग्रामीण विकास में गति आई है -

i). ग्राम पंचायतों में महिला सचिव की नियुक्ति,
ii). वन विभाग में ''महिला वनरक्षक'' की नियुक्ति,
iii). राजस्व विभाग में ''महिला पटवारी'' की नियुक्ति,
iv). कृषि विभाग में ''महिला ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी'' की नियुक्ति ।

उपरोक्त पदों पर पूर्व में केवल पुरूषों की ही भर्ती की जाती थी। किन्तु इन पदों पर महिलाओं की भर्ती से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है वहीं ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ ये शासकीय कर्मचारी महिलाओं की प्रेरणा स्रोत भी बनीं हैं। इनको ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करते हुए देखकर ग्रामीण महिलाओं की हौंसला अफजाई हो रही है और वे आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रही हैं। शासन का यह कदम ग्रामीण विकास के साथ-साथ उनके आर्थिक सशक्तिकरण में भी सहायक है। शासन के इस कदम से महिला सरपंच, वनवासी क्षेत्र की महिलाओं, महिला कृषकों को विशेष लाभ हुआ है, क्योंकि उन्हें उन्हीं जैसा कर्मचारी मिलने से ग्राम विकास में सहायता मिल रही है।

निष्कर्ष

प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आज महिलाओं द्वारा अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति, कर्तव्य परायणता तथा सहनशीलता के द्वारा धीमे-धीमे ही सही लेकिन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता हैं इस परिवर्तन में शासन, प्रशासन एवं स्वयं महिलाओं की गौरव गाथा भी शामिल है। महिला ने अपने प्रभाव से समाज को चतुर्दिक प्रभावित किया है, जो सामाजिक सशक्तिकरण का लक्षण है। आज महिलायें अपने पुत्र-पुत्रियों को शिक्षा दिला रही हैं। वे स्वतंत्रता से चाहे जहाँ आ-जा रही हैं, उनमें एक आत्म विश्वास दिखाई देता है। वे अब घूंघट में सिमटकर नहीं रह गयी हैं अपने ऊपर हो रहे जुल्मों का प्रतिकार करती हैं। इसके लिए वे पुलिस व प्रशासन का सहारा ले रही हैं, आज बाल-विवाह, बेमेल विवाह समाप्ति की ओर है, विधवा विवाह को प्रोत्साहन मिल रहा है। अंध विश्वासी की डोर उनके हाथों से छूट रही है। छुआ-छूत की भावना क्रमशः कम हो रही है। महिलायें अब अपने जीवन एवं उन्हें क्या करना है, इसका फैसला वे खुद कर रही हैं। वे अपनी स्वतंत्रता एवं अधिकारों का उपयोग सजगता तथा सतर्कता से कर रही हैं। सामाजिक रूढ़ियों के भंवरजाल से निकलकर उनके पक्ष में क्या है उन्हें किसमें फायदा हैं ? इसका अंदाजा और अंदेशा उनकी दूरदर्शिता को उजागर करता है। आज वे बेहिचक होकर पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही है। यह रूढ़ियों एवं सामाजिक कुरीतियों की तिलांजलि का प्रमाण है। इस प्रकार हमें आज के समाज में महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के लक्षण दृष्टव्य हो रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सिंह, डॉ. अमिता (2009), लिंग एवं समाज, विकास प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 100
2. मीनू पाण्डेय, निबंध पब्लिशिंग, 08 जनवरी 2020।
3. कटारे एस.एस. (1950), योजनाओं का मूल्यांकन एवं विश्लेषण, इलाहाबाद, शारदा प्रेस, पृ. 120-125।
4. देवी, बाला, आर्टिकल, ''भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति' वैदिक तथा मध्यकाल की स्थिति की तुलनात्मक सामाजिक विवेचना, वर्ष 2018, पृ. 140
5. Paper published www.shabdralam.com, in Vol-III, Issue-09.
6. शर्मा, श्रीनाथ (2010), जनजातीय समाज शास्त्र, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल।
7. सच्चिदानन्द (1977), द हरिजन, इलीट पापुलर प्रकाशन, बाम्बे, पृ. 65।